राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील आबकारी संख्या–1345/2016/धौलपुर

नबी अख्तर, पुत्र श्री मोहम्मद अजीम,
निवासी–138, सल्लाहपुर, इलाहाबाद
"उत्तर प्रदेश"।

.... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव,
   आबकारी विभाग,
   राजस्थान सरकार जयपुर।
2. आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर,
   आबकारी भवन – 2, गुमानियावाला
   पंचवटी, उदयपुर
3. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोन–भरतपुर
4. जिला आबकारी अधिकारी धौलपर,
   जिला–धौलपुर

...अप्रार्थीगण

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री अजयपाल
अभिभाषक
....प्रार्थी की ओर से
श्री आर.के.अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषक
श्री गिरवर शर्मा
सहायक आबकारी अधिकारी
....अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक : 12.12.2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 9 ए के अन्तर्गत विद्वान आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर के आदेश दिनांक 12.08.2015 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है जिसमे उन्होंने अपीलार्थी के वाहन को राजसात किये जाने के आदेश दिये है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जिला आबकारी अधिकारी, धौलपुर के पत्र क्रमांक आब/अभि/वाहन/664 दिनांक 20.07.2015 द्वारा श्रीमान् आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर को अभियोग सं. 404/14 दिनांक 28.09.2014 पुलिस थाना मनियां धौलपुर ट्रक केन्टर नम्बर, यू.पी. 64 एच 2144 69(4) की रिपोर्ट के

लगातार.....2

आधार पर वाहन स्वामी अज्ञात होने एवं सार्वजनिक सूचना द्वारा समाचार पत्र में पक्ष/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के प्रकाशन की कार्यवाही के आधार पर जब्त वाहन को राजसात कर नीलामी आदेश के संबंध में निवेदन किया गया। विद्वान आबकारी महोदय, ने अपने आदेश दिनांक 12.06.2015 द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 69 के अन्तर्गत वाहन को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। अपीलार्थी ने आबकारी आयुक्त, महोदय का प्रार्थना पत्र दिनांक 17.03.2016 द्वारा वाहन को जुर्माना राशि जमा करवाकर छोडने हेतु निवेदन किया जो आदेशिका दिनांक 16.07.2016 द्वारा इस आधार पर खारिज किया गया है कि वाहन राजसात किया जा चुका है। अपीलार्थी वाहन स्वामी आदेश दिनांक 12.06.2015 के विरूद्व यह अपील धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक एवं सहायक आबकारी अधिकारी उपस्थित आये।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि प्रार्थी को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है व एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी का वाहन अवैध शराब के परिवहन में प्रयुक्त नहीं हो रहा था व अपीलार्थी का अवैध शराब के परिवहन के आरोप में वाहन जब्त होने का कोई ज्ञान नहीं था। अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत वाहन मालिक को जुर्माना भरकर वाहन छुडवाने का विधिक अधिकार है परन्तु अपीलार्थी को बिना कोई नोटिस जारी किये वाहन जब्त करने का आदेश दिया गया है जो विधिसम्मत नहीं है। अपीलार्थी को वाहन जब्त होने की जानकरी प्राप्त होने पर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई, अतः धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील स्वीकार की जाकर वाहन को उसे सौंपा जावे।

6. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः अपील खारिज की जावें।

7. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

8. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने की दृष्टिगत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

लगातार.....3

9. विचाराधीन प्रकरण में पुलिस थाना मनियां जिला धौलपुर में एफ.आई.आर सं. 404 दिनांक 28.09.2014 राजस्थान गौ–हत्या निवारण (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का वनियमन) अधिनियम–1995 के अन्तर्गत दर्ज हुई है तथा केन्टर में गौवंश के साथ–साथ 46 पौवों में शराब भी पाई गई है जिससे आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 में भी प्रकरण साथ ही दर्ज हुआ है। माननीय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धौलपुर के न्यायालय में दोनों अधिनियमों में चालान प्रस्तुत किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी ने आबकारी आयुक्त महोदय को अधिनियम, 1950 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रेषित किया है जिसमे आदेश दिनांक 12.08.2015 द्वारा वाहन राजसात करने के आदेश दिये है।

10. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जिला आबकारी अधिकारी, धौलपुर के पत्र क्रमांक आब/अभि/वाहन/664 दिनांक 20.07.2015 द्वारा श्रीमान् आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर को अभियोग सं. 404/14 दिनांक 28.09.2014 पुलिस थाना मनियां धौलपुर ट्रक केन्टर नम्बर, यू.पी. 64 एच 2144 69(4) की रिपोर्ट के आधार पर वाहन स्वामी अज्ञात होने एवं सार्वजनिक सूचना द्वारा समाचार पत्र में पक्ष/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के प्रकाशन की कार्यवाही के आधार पर जब्त वाहन को राजसात कर नीलामी आदेश के संबंध में निवेदन किया गया। विद्वान आबकारी महोदय, ने अपने आदेश दिनांक 12.06.2015 द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 69 के अन्तर्गत वाहन को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। इससे यह स्पष्ट है कि न तो जिला आबकारी अधिकारी द्वारा व न ही आबकारी आयुक्त महोदय द्वारा वाहन स्वामी अपीलार्थी को नोटिस जारी कर वाहन राजसात करने की कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचित किया है। इस सम्बन्ध मे अधिनियम, 1950 की धारा 69 के सम्बन्धित भाग का अवलोकन करना समीचीन है :–

Section 69. What things ar liable to confiscation. --

(4) Where any means of conveyance referred to in Clause (e) of Sub-sec. (1) is seized in connection with the commission of any offence under this Act, a report of such seizure shall, without unreasonable delay, be made by the person seizing it to the Excise commissioner or to the officer, not below the rank of the District Excise Offcier, as may be duly authorised by the State Government in this behalf and whether or not a prosecution is instituted for commission of such an offece, the Excise Commissioner or the officer authorised in this behalf by the State Government, having jurisdiction over the area where the said means of conveyance was seized, may, if satisfied that the said means of conveyance was used for commission of offence under this Act, order confiscation of the said menas of conveyance:

Provided that before ordering confiscation of the said means of conveyance a reasonable opportunity of being heard shall be afforded to the owner of the said means of conveyance and if such owner satisfies the Excise commissioner or the officer authorised by the State Government in this behalf that he had no reason to believe that such offence was being or likely to be committed and he had exercised due care in the

लगातार.....4

prevention of the commission of such an offence, the Excise Commissioner or the officer autohrised by the State Government in this behalf, may not confiscate the said means of conveyance:

Provided further that where such means of conveyance is owned by the Central Government or any State Governemnt or any of their undertaking, no order of confiscation or such means of conveyacne shall be passed by the Excise commissioner or an officer authorised by the State Government in this behalf and the matter shall be referred to the State Government by the Excise Commissioner or the officer authorised by the State Government in this behalf, for making such orders regarding means of conveyacne as the State Government may deem fit:

Provided also that before ordering confiscation under this sub-section the owner of the means of conveyance, referred to in Clause (e) of Sub-sec. (1), may be given an option to pay in lieu of confiscation, a fine not exceeding the market price of such means of conveyance.

उपरोक्त विधिक प्रावधान 69(1) से यह स्पष्ट है कि वाहन स्वामी जुर्माना राशि भरकर वाहन छुडवा सकता है परन्तु इस प्रकरण में वाहन स्वामी को ऐसा कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। प्रकरण में वाहन राजसात करने से पूर्व वाहन स्वामी को उसके ज्ञात पते पर नोटिस तामील करवाने का प्रयास किया जाना चाहिए था । व्यक्तिगत नोटिस या रजिस्टर्ड नोटिस तामील नहीं होने की दशा में समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशन की कार्यवाही द्वारा तामील करवाई जानी चाहिए थी जबकि इस प्रकरण में वाहन स्वामी को सूचित करने के सम्बन्ध में ऐसी कोई कार्यवाही नही हुई है जिससे वाहन राजसात करने की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में विधिवत सुनवाई का अवसर नहीं मिला है जिससे वाहन स्वामी अधिनियम की धारा 69(1) में प्रदत्त विधिक अधिकार का उपयोग नहीं कर सका है जिससे अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.08.2015 व आदेश दिनांक 16.07.2016 निरस्त किया जाकर अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 69(4) दिनांक 17.03.2016 पर अपीलार्थी को सुनकर नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पुनः पारित करें। अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.01.2018 को उपस्थित हो। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि वाहन का सम्बन्ध राजस्थान गौवंश अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत एफ.आई.आर पर दर्ज अन्य अपराधिक प्रकरण से भी है, अतः यदि यह वाहन आबकारी अधिनियम के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के आधार पर छोडा जाता है तो अन्य अपराध से सम्बन्धित उक्त वाहन वांछित नही होने की शर्त पर ही वाहन रिलीज किये जाने के संबंध में आदेश दिये जावें।

12. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य

12/12/17
(राजीव चौधरी)
सदस्य